

2-617

पत्रावली आज्ञासमय केन्द्र कोर्ट मानपासिप्रा के
पेश हुई। चूंकि मूलवाद विर्णय होने से इस
कृषिदान को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं
रहा। अतः इस कृषिदान से आगामी कार्यवही
इसकी स्तर पर समाप्त कर लाभालय द्वारा जारी
लखन आदेश दि. 31.12.12 को प्रिश्त किया जा रहा है
पत्रावली के सल शुभार होकर इतकिल यफत हो

सहायक कलक्टर
गोंदवान